तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेन्स / एल.आर. / 1800 / 2006 / टोंक सरकार बनाम भगवानस्वरूप	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ

श्री भवानी सिंह पालावत, सदस्य

उपस्थित :
श्री जानी सिंह, उप राजकीय अभिभाषक।
अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित

दिनांक : 04–08–2025

निर्णय

यह रेफरेन्स अतिरिक्त जिला कलक्टर, टोंक ने राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत अपने निर्णय व अभिशंषा दिनांक 25–02–2006 द्वारा राजस्व मण्डल को प्रेषित किया है।

रेफरेन्स प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि तहसीलदार मालपुरा ने एक रेफरेंस प्रार्थना पत्र राजस्व मण्डल, अजमेर को प्रस्तुत करते हुये निवेदन किया कि ग्राम लाम्बा हरिसिंह की आराजी खसरा नं. 747 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा, 742/1 रकबा 14 बिस्वा, 748/2 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा, 751 रकबा 5 बीघा 11 बिस्वा, 758 रकबा 4 बिस्वा 759 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा, 757 रकबा 3 बीघा 6 बिस्व 758 रकबा 4 बिस्वा, 759 रकबा 5 बीघा 11 बिस्वा, 760 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा, 1006/6 रकबा 6 बीघा 13 बिस्वा कुल किता 11 रकबा 31 बीघा 16 बिस्वा खतौनी बन्दोबस्त संवत् 2010 से 29 के अनुसार माफी मन्दिर श्री गोपाल जी महाराज सा देह खुदकाश्त दर्ज रिकार्ड थी। जिसे बिना सक्षम आदेश के विपक्षीगण के नाम दर्ज कर दी गई है। उसे वापस मूर्ति मन्दिर के नाम दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान किया जावे। उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीयों से तलबी की जाकर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेन्स / एल.आर. / 1800 / 2006 / टोंक सरकार बनाम भगवानस्वरूप	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	उनके अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही कर इस न्यायालय की अभिशंषा से रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने हेतु माननीय मण्डल को निर्णय दिनांक 24–06–99 से प्रेषित किया गया था। राजस्व मण्डल से प्रकरण दिनांक 31–03–3 से वापस इस निर्देश से प्राप्त हुई है कि विपक्षीगण को सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर तथा पक्षकारान दस्तावेज प्रस्तुत करना चाहे तो उन्हें रिकार्ड पर लेकर विधि अनुसार निर्णय पारित करें। अतः अप्रार्थीगण के नाम दर्ज भूमि को राजस्व अभिलेख में माफी मन्दिर, श्री माफी मन्दिर श्री गोपाल जी महाराज सा देह के नाम दर्ज करवायी जावे। अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वारा उक्त रेफरेंस प्रकरण स्वीकार कर वादग्रस्त भूमि को पुनः माफी मन्दिर श्री गोपाल जी महाराज सा देह के नाम दर्ज करने हेतु यह रेफरेंस राजस्व मण्डल में प्रेषित किया है। उप राजकीय अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गई। उप राजकीय अभिभाषक का कथन है कि विवादित भूमि मंदिर मूर्ति के नाम से राजस्व अभिलेखों में दर्ज थी, जो बिना किसी सक्षम आदेश के अप्रार्थी के नाम दर्ज कर दी गई। चूंकि मन्दिर शाश्वत नाबालिग है, और मंदिर मूर्ति विराजमान शाश्वत नाबालिग की खातेदारी भूमि होने के कारण उसका अन्तरण किसी भी व्यक्ति को नहीं किया जा सकता और ना ही उक्त भूमि में किसी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्रदान किये जा सकते हैं। बिना किसी सक्षम आदेश के विवादित भूमि मंदिर के स्थान पर विधि विरूद्ध तरीके से अप्रार्थी के नाम दर्ज कर दी गई है, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का स्पष्ट उल्लंघन है। अतः रेफरेन्स	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेन्स / एल.आर. / 1800 / 2006 / टोंक सरकार बनाम भगवानस्वरूप	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

स्वीकार किया जाकर विवादग्रस्त आराजी बाबत अप्रार्थी के नाम दर्ज इन्द्राज निरस्त किये जाकर विवादग्रस्त आराजी को पुनः माफी मन्दिर श्री गोपाल जी महाराज सा देह के नाम दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये जावें।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन व किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि खतौनी बन्दोबस्त सं. 2010 से 29 के अनुसार विवादग्रस्त आराजी माफी मन्दिर श्री गोपाल जी महाराज सा देह रामधन वल्द श्री नारायण पुजारी सा देह एवं कालम सं.4 से खुद काश्त दर्ज थी। रामधन के फोत होने पर नोरत मल पुत्र विष्णु दत्त पिता रामधन के नाम नामांतरण संख्या 272 एवं नोरतमल व विष्णुदत्त पिता रामधन के फोत होने पर उसके वारिसान भगवान स्वरूप, राजेन्द्र कुमार, शंकरलाल, दिनेश कुमार व नर्बदा बेवा नोरतमल व चन्द्रा, कलावती पुत्रीया नोरतमल का रहे 1/2 बराबर सत्यप्रकाश, रमेश कुमार पि. विष्णुदत्त व कमलेश देवी बेवा विष्णुदत्त, सज्जन कंवर पुत्री विष्णुदत्त है 1/2 बराबर सा देह के नाम नामांतरण संख्या 272 भरा गया, जो जमाबन्दी सम्वत् 2043–46 से स्पष्ट है। इस प्रकार मूर्ति मंदिर की भूमि का नियम विपरीत हस्तांतरण हुआ है। राजस्व कर्मचारियों द्वारा कालांतर में जमाबंदी एंव राजस्व रिकोर्ड में बिना किसी सक्षम व विधिक आदेश के मंदिर मूर्ति की भूमि की खातेदारी समाप्त कर निजी खातेदारी में दर्ज कर दी गई, जो पूर्णतया गलत व विधि विरूद्ध है।

राजस्व विधि में मूर्ति मंदिर को शाश्वत अव्यस्क माना

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेन्स / एल.आर. / 1800 / 2006 / टोंक सरकार बनाम भगवानस्वरूप	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

जाकर उसके स्वत्व व खातेदारी अधिकार की भूमि का किसी भी प्रयोजनार्थ हस्तान्तरण वर्जित है। इस प्रकार मन्दिर मूर्ति की भूमि का अप्रार्थीगण के नाम अन्तरण, नामांकन तथा राजस्व अभिलेख में अंकन पूर्णतया विधि विरूद्ध होने से अवैध एवं प्रभाव शून्य है। अतः विवादग्रस्त आराजी अप्रार्थी के नाम विधिक प्रावधानों के विपरीत दर्ज होने से निरस्तनीय है।

अतः यह रेफरेन्स स्वीकार किया जाकर विवादग्रस्त आराजीयात 11 किता रकबा 31 बीघा 10 बिस्वा भूमि, जो गोपाल जी के नाम दर्ज थी, उसे बिना किसी आदेश माफी मन्दिर गोपाल जी के नाम से हटाकर बिना नामान्तरण रामधन पुत्र श्री नारायण के नाम दर्ज कर दी एवं रामधन के नाम फोत होने पर उसके वारिसान के नाम नामा0 सं. 272, 722 से दर्ज की गई, को निरस्त कर उक्त आराजी को पुनः माफी मन्दिर श्री गोपाल जी महाराज सा देह के नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। जिला कलक्टर एवं संबंधित तहसीलदार को निर्णय की प्रति अलग से प्रेषित की जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सुनाया गया।

(भवानी सिंह पालावत)
सदस्य